



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25082026-275759
CG-MH-E-25082026-275759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 691]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 24 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 757(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला कच्छ, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) तक विस्तार के संबंध में भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी- अबडासा, जिला कच्छ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उपधारा (II) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि से संबंधित भूमि योजना तथा अन्य व्यौरे/ विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में भुज-नलिया गेज कन्वर्जन (101.25 किमी) और वायोर तक नई लाइन (24.65 किमी) के विस्तार से जुड़े स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन (जिस पर कोई ढांचा हो या न हो) का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: कच्छ.

क्र. स.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अबडासा	वायोर	123/1/ पैकी 1	निजी	खेती	17622
2	अबडासा	वायोर	123/1/ पैकी 2	निजी	खेती	3425
3	अबडासा	रामपार	102/ पैकी 1	निजी	खेती	4044
4	अबडासा	जना-कोसा	21	निजी	खेती	2912
5	अबडासा	जना-कोसा	21/ पैकी 3	निजी	खेती	2685
6	अबडासा	जना-कोसा	21/ पैकी 2	निजी	खेती	1081
7	अबडासा	जना-कोसा	19/1 पैकी (हिस्सा नंबर 1 और 2)	निजी	खेती	4852
8	अबडासा	नलिया	1387/ पैकी 1	निजी	गामथल	3634
9	अबडासा	नलिया	1199/ पैकी 1	निजी	खेती	3625
10	अबडासा	नलिया	1378/1/ पैकी 1	निजी	खेती	137
11	अबडासा	नलिया	1378/1/ पैकी 2	निजी	खेती	2402
12	अबडासा	वडसर	231	निजी	खेती	6825
			कुल ज़मीन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)			53244

[फा. सं. ई-363933-9]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक – II

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th August, 2026

G.S.R. 757(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 Km) extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Abdasa, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 KM) extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of District: Kutch

Sr No	Name of Taluka	Name Village	Survey No	Type of Land	Nature of Land	Area in land (in Sqm)
1	Abdasa	Vayor	123/1/Paki1	Private	Agriculture	17622
2	Abdasa	Vayor	123/1/Paki2	Private	Agriculture	3425
3	Abdasa	Rampar	102/Paki1	Private	Agriculture	4044
4	Abdasa	Jana Kosha	21	Private	Agriculture	2912
5	Abdasa	Jana Kosha	21/Paki3	Private	Agriculture	2685
6	Abdasa	Jana Kosha	21/Paki2	Private	Agriculture	1081
7	Abdasa	Jana Kosha	19/1Paki (Hissa no. 1 and 2)	Private	Agriculture	4852
8	Abdasa	Naliya	1387/Paki1	Private	Gamthal	3634
9	Abdasa	Naliya	1199/Paki1	Private	Agriculture	3625
10	Abdasa	Naliya	1378/1/Paki1	Private	Agriculture	137
11	Abdasa	Naliya	1378/1/Paki2	Private	Agriculture	2402
12	Abdasa	Vadsar	231	Private	Agriculture	6825
Total land Area in Sqm						53244

[F. No. E-363933-9]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager –II